-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना जसपुरा क्षेत्र में वर्ष-2023 में व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना जसपुरा क्षेत्र में व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना जसपुरा क्षेत्र के गड़रिया के रहने वाले गगांचरन ने दिनांक 08.05.2023 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि उसके लड़के राजू को कुल्हाड़ी मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसे उपचार हेतु अस्पताल बांदा ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता गया गंगाचरन की तहरीर पर थाना जसपुरा पर मु0अ0सं0- 53/23 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालिन प्रभारी निरीक्षक थाना जसपुरा श्री राकेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार तथा पैरोकार आरक्षी वीर प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **हेमबाबू निषाद पुत्र सुन्दर निषाद निवासी गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा।**

अभियोजक
श्री श्रवण तिवारी

विवेचक
निरी0 राकेश कुमार सरोज

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 अमित कुमार

पैरोकार
आ0 वीर प्रताप सिंह